

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 व नियम 14 व 15 के अनुसार प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आशवासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र० स०	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/ वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्विती य व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिय जाने पर देय ग्रेड-पे/ पे-लेवल
1	विनोद कुमार शर्मा, रामावि, सेसई पं०स० सराड़ा जिला उदयपुर	से०नि० प्र०अ०	14-07-1960	29-08-1998	20 YEAR 28-08-2018	29-08-2018	L-16
2	स्व० नीना कुमारी, राउमावि, शेरेकां-टिब्बी जिला हनुमानगढ़	तत्कालीन प्रधानाचार्य	23-08-1966	17-10-1995	20 YEAR 16-10-2015	17-10-2015	6800/-
3	मुकेश कुमार मिश्र, राउमावि, मिलकपुर जिला अलवर	से०नि० प्रधानाचार्य	10-03-1959	03-12-1996	20 YEAR 02-12-2016	03-12-2016	L-17

नोट : -

- 1 एसीपी स्वीकृत किए जाने पर तीन प्रतिशत वेतनवृद्धि वर्तमान मूल वेतन पर देय होगी तथा ग्रेड-पे का अन्तर दिया जायेगा। वेतन निर्धारण नियन्त्रण अधिकारी द्वारा किया जायेगा। यदि पदोन्नति पर 26-ए का लाभ नहीं दिया गया है तो उक्त लाभ देय होगा।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3-4/एसीपी/2020/78

दिनांक : 13/1/2021

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा
- 2- संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
- 3- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा
- 4- संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
- 5- संबंधित अधिकारी/संस्था प्रधान/नियंत्रण अधिकारी
- 6- सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर